न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

1. रजकू पत्नी स्व. श्री श्यामलाल आयु 60 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य
2. सोनू (नाबालिग)
3. करण सिंह पुत्रगण गजराज सिंह
4. हरीशचन्द पुत्र स्व. श्री श्यामलाल

निवासीगण ग्राम डेरा चिरूला तह. व जिला दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

बनाम

श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री गजराज सिंह निवासी– ग्राम डेरा चिरूला तह. व जिला दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदिका

श्री.....
द्वारा आज दि.....
प्रस्तुत

वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.15 जिसे तहसीलदार दतिया ने अपने यहां के प्रकरण क्र. 86/अ–6/13–14 में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, तहसील न्यायालय में आवेदिका व अनावेदिका द्वारा धारा 110 एवं 109 म.प्र. भू.रा.सहिता का एक आवेदन प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में लम्बित है।

2. यहकि, उक्त प्रकरण में आवेदिका ने एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि पटवारी रिपोर्ट/प्रतिवेदन ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रकरण में पक्षकारों के संयोजन का दोष है इस कारण से उक्त आवेदन पत्र इसी स्टेज पर समाप्त किया जावे।

3. यहकि, विद्वान तेहसीलदार महोदय के उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया माननीय न्यायालय में इससे व्यथित होकर आवेदकगण इस

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3181-II/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.15	प्रकरण में कायमी पर तर्क सुनने तथा नस्ती के अवलोकन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि निगरानीकार द्वारा यह निगरानी एक लापरवाही पूर्ण तरीके से प्रस्तुत की गई है क्योंकि इन्होंने अपने निगरानी मेमो के साथ तहसीलदार, दतिया के आक्षेपित आदेश दि. 21.9.15 की ऐसी 'पूर्ण' प्रमाणित प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं समझी है जिस पर (दि. 21.9.15 की proceeding में) तहसीलदार के हस्ताक्षर हों, तथा इस दिनांक को प्रकरण प्रस्तुत होने और अनावेदक अभिभाषक के मय पक्षकार उपस्थित होने के अतिरिक्त क्या हुआ, यह स्पष्ट होता हो। इस संबंध में मैं निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक को भविष्य में सावधानी बरतने की हिदायत देता हूँ। इसके अतिरिक्त, नस्ती के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि दि. 18.9.15 को (जिस दिनांक की अनुवृत्ति पत्रिका की प्रति नि. मेमो के साथ दी गई है) प्रकरण अगली पेशी दि 21.9.15 के लिए अंतिम तर्क हेतु नियत हुआ है, एवं उसमें दि. 21.9.15 तक कोई अन्तिम आदेश	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषका आदि के हस्ताक्षर
	(उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर) पारित हुआ होना परिलक्षित नहीं होता है। निगरानीकार रज्जू आदि द्वारा दि-21-9-15 को जो आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जाना बताया जाकर उसकी प्रति निगरानी मेमो के साथ दी गई है, उसके संबंध में दि. 21.9.15 को तहसील न्यायालय में क्या हुआ, इस संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए तहसीलदार के किसी आदेश या उनकी अनुकूलि आदेश पत्रिका की कोई प्रमाणित या अन्य प्रति इनके (निगरानीकार के) द्वारा नहीं दी गई है।	
	ऐसे में, निगरानी दावा अस्पष्ट एवं बगैर समुचित आधार संलग्न करते हुए प्रस्तुत हुआ होने के कारण, इसी स्टेज पर खारिज कर समाप्त किया जाता है तथा इस कारण जो न्यायालय का समय आदि नष्ट हुआ है, उसके लिये रु. तीन सौ (300/-) जुर्माना लगाया जाता है।	
	प्रकरण समाप्त।	
	दा. द. हो।	
	पक्षकार सूचित हो।	
	[signature] 23.10.15 सदस्य	

M